संख्या – /XXVII(1)/2005

प्रेषक,

के0 सी0 मिश्र,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून।

वित्त अनुभाग – 1 देहरादून : दिनांक : 09 मई, 2005

विषय : राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में नगरीय स्थानीय निकायों को प्रथम किश्त की धनराशि का संक्रमण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रथम राज्य वित्त आयोग, उत्तरांचल की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णयानुसार नगर निगम, देहरादून को चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 की प्रथम तिमाही किश्त हेतु रू0 2,44,91,000/– (रूपये दो करोड चौवालीस लाख इक्यानवें हजार मात्र) की धनराशि संक्रमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2–उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही है:–

1. स्थानीय निकायों को कुल देय वार्षिक धनराशि से 30 प्रतिशत अंश रोका गया है, जो प्रतिवेदन के प्रस्तर 21.5 के अन्तर्गत प्रस्तर 22.5 व 22.6 के अनुसार राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की संस्तुति पर अवमुक्त किया जायेगा। शेष 70 प्रतिशत अंश को 4 समान तिमाही किश्तों में अवमुक्त किया जायेगा। तदनुसार प्रथम किश्त अवमुक्त की जा रही है।

2. संक्रमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित मंडलायुक्त द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिए संक्रमित की गई हैं । इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

3. नगर विकास विभाग संक्रमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे। कोषागार से आहरित धनराशि के बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

4. शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ठ शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त–नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी

स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त–नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–01– नगरीय स्थानीय निकाय– 191–नगर निगम –03–राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(के0 सी0 मिश्र)
अपर सचिव, वित्त

संख्या 668 (1)/XXVII(1)/2005 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
3. सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तरांचल।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. निदेशक, नगरीय स्थानीय निकाय, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार, वित्त सेवायें, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
9. एन0 आई0 सी0 सचिवालय, उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से,

(के0 सी0 मिश्र)
अपर सचिव, वित्त